

# कार्यालय, बाँदा विकास प्राधिकरण, बाँदा

पत्रांक सं०...../बां०वि०प्रा०/आवंटन/2025-26

दिनांक.....

## आवंटन-पत्र

प्रेषक,

सचिव  
बाँदा विकास प्राधिकरण  
बाँदा।

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु०.....  
पुत्र/पत्नी/पुत्री.....  
निवासी.....

सम्पत्ति सं०.....(इस कोड को प्राधिकरण से पत्र व्यवहार के समय अवश्य प्रयाग करें)

विषय:- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना (ग्राम महोखर) बाँदा में ब्लॉक- में स्थित भूखण्ड सं०.....श्रेणी.....क्षेत्रफल.....वर्गमी० के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि आपके द्वारा आवेदन के साथ पंजीकरण धनराशि रू० .....(शब्दों में.....) प्राधिकरण कोष में जमा करते हुये आपके द्वारा उक्त योजना हेतु आवेदन किया गया था। जिसके क्रम में दिनांक.....को आयोजित लाट्ररी/ड्रा के माध्यम से आपके पक्ष में उक्त सम्पत्ति को आवंटन किया गया है। सम्पत्ति का अनुमानित क्षेत्रफल.....वर्गमी० है तथा अनुमानित मूल्य रू०.....(शब्दों में.....) है।

अतएव उक्त सम्पत्ति की अवशेष धनराशि निम्न विवरण के अनुसार बाँदा विकास प्राधिकरण के निर्धारित खाता सं०..... में आर०टी०जी०एस०/निर्धारित चालान के माध्यम से निम्न प्रकार जमा करनी होगी

क्र०	विवरण		धनराशि	देय तिथि
1	सम्पत्ति का मूल्य			
	स्थानीय शुल्क (लोकेशन चार्ज)			
	अ	पार्क फेसिंग		
	ब	कार्नर		
	स	18 मी. अथवा उससे चौड़ी रोड		
	जमा पंजीकरण धनराशि			
	अवशेष धनराशि			
2	आवंटन धनराशि (भूखण्ड मूल्य स्थानिक शुल्क फ्री होल्ड सहित)			
3	अवशेष धनराशि एकमुश्त के आधार पर			
	अथवा			
	किश्तों के आधार पर अवशेष धनराशि 03 वर्ष की 12 त्रैमासिक किश्तों में निम्न विवरणानुसार रू० (10 प्रतिशत ब्याज सहित)			
किस्त संख्या	किस्त की तिथि	रू० किस्त की धनराशि	रू० किस्त में मूलधन	रू० किस्त में ब्याज
A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				
H				
I				

J				
K				
L				

### नियम व शर्तें

1. आवंटन धनराशि देय तिथि अर्थात आवंटन पत्र निर्गत होने के 60 दिनों के भीतर प्राधिकरण कोष में प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। आवंटन धनराशि निर्धारित समय तक जमा न करने की दशा में आवंटन नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।
2. फ्रो-होल्ड/धनराशि उक्त देय तिथि तक जमा न करने पर विलम्ब के लिए विलम्ब ब्याज देय होगा।
3. सम्पत्ति का मूल्य 50.00 लाख से अधिक होने पर लीज डीड के समय आवंटी द्वारा भूखण्ड के मूल्य से 1 प्रतिशत टी0डी0एस0 की कटौती कर अवशेष धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी तथा 1 प्रतिशत टी0डी0एस0 की धनराशि आयकर विभाग में आवंटी द्वारा जमा कर चालान प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जायेगा। (पैन नम्बर.....)
4. किश्तों की धनराशि विलम्ब से जमा करने की दशा में 02 प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगा।
5. विलम्ब ब्याज सहित जमा धनराशि हेतु विलम्बतम अवधि 90 दिन होगी, इस अवधि में भी वांछित धनराशि विलम्ब ब्याज सहित जमा नहीं करायी जाती है तब आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त किया जा सकता है।
6. यदि अर्जन मूल्य/निर्माण की लागत में वृद्धि होती है तो बढ़े हुए मूल्य की धनराशि समानुपातिक आधार पर आवंटियों द्वारा देय होगी।
7. आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही बैंक ऋण हेतु अनापत्ति पत्र माना जायेगा।
8. देय किश्तों की धनराशि को समय से जमान करने पर लगातार तीन किश्तें डिफाल्टर होने की दशा में सक्षम प्राधिकारी/उपाध्यक्ष बांदा विकास प्राधिकरण को यह अधिकार हागा कि वह आवंटन निरस्त कर दें। आवंटन निरस्त होने की दशा में पंजीकरण की शर्तों के अनुसार कटौती करके धनराशि वापस की जायेगी।
9. अन्य नियम व शर्तें पंजीकरण/विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

दिनांक.....

सचिव  
बांदा विकास प्राधिकरण  
बांदा